

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय Office of the  
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager,  
बिलासपुर - (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)

दर परिपत्र स. 68(माल)/2017

Rates Circular No.68(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/Freight Table/Pt.I/18 22

दिनांक / Date: 31/03/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मंडल रेल प्रबंधक / DRMs / द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, /Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर / ARMs भिलाई, कोरवा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी / CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी / FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी) / Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी (टी.ए.) द.पू.म.रे. बिलासपुर / Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक / SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, /CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता / CME, मुख्य अभियंता / CE, मुख्य विद्युत अभियंता / CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, /Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुवली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट / EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता। कॉनकोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, महाप्रबंधक, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

**विषय / Sub:- Adjustments in Base Freight Rates for short lead goods traffic.**

- संदर्भ / Ref: (i) Railway Board's letter No.TCR/1078/2016/05 dated 13.07.2016 (Rates Circular No. 20 of 2016) and dated 15.09.2016 (Rates Circular No.24 of 2016).  
(ii) This office Rates Circular No.129(G)/16 & 173(G)/16.

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TCR/1078/2016/05 दिनांक 31/03/2017 (Rates Circular No.15 of 2017) आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

These instruction shall come into force with effect from 01.04.2017 and shall remain in force till 30.06.2017.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।

Encl: One(01 pages)

(एस. एम. गोंडाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / पण्य  
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

**भारत सरकार(GOVERNMENT OF INDIA)  
रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS)  
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)**

No.TCR/1078/2016/05

New Delhi, dated: 31.03.2017

**Chief Commercial Managers .  
All Indian Railways**

**Sub: Adjustment in Base Freight Rates for short lead goods traffic.**

**Ref: Board's letter No. TCR/1078/2016/05 dated 13.07.2016 (Rates Circular No. 20 of 2016) and dated 15.09.2016 (Rates Circular No. 24 of 2016)**

- 1.0 Please refer to Board's Rates Circular under reference notifying reduction of minimum distance for charge and concession in charging of freight for all traffic booked up to 100 KMs. These instructions are valid up to 31.03.2017.
- 2.0 The matter has been reviewed and it has been decided that concession in charging of freight for all traffic booked up to 100 KMs may be revised as under:

Distance Slab	Concession in Freight
0-50 KMs	15%.(Fifteen Percent)
51-75 KMs	10% (Ten Percent)
76-90 KMs	5% (Five Percent)
91-100 KMs	Nil

- 3.0 It has also been decided that minimum distance for charge will remain unchanged i.e. 100 KMs.
- 4.0 These instructions shall come into force with effect from 01.04.2017 and shall remain in force till 30.06.2017.
- 5.0 All other details of the Rates Circular under reference will continue to apply unchanged.
- 6.0 This issues in consultation with Traffic Transportation Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

*Latakumari*

(Lata Kumari)  
Director, Traffic Commercial (Rates)  
(Railway Board)

No.TCR/1078/2016/05

New Delhi, dated: 31.03.2017

Copy for information to:

FA & CAO, All Indian Railways.  
Dy. C&AG(Rlys), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi.

*C. S. Rao*  
for Financial Commissioner(Railways)